items at 25 per cent duty subject to export obligation of three times the CIF value of goods imported in four years or at 15 per cent import duty subject to export obligation of four times the CIF value of goods imported in five years.

(iii) imports of second hand textile machinery allowed subject to licensing. However machinery required for manufacture of garments, hosiery and made-ups could be imported without licensing requirements.

(iv) six additional items of trimming/embellishments used by the Ready Made Garment industry have been extended the benefit of concessional duty of imports with effect from 30-4-92.

(v) limit for import of tags, labels, printed bags and stickers intended for the purpose of manufacture of export goods has been increased from Rs. 1000 to Rs. 10,000/-

(vi) participation in fairs, exhibitions, organising Buyer-Seller Meets.

(vii) Garment exporters can import raw materials required by them duty free under value based Advance Licence Scheme and quantity based Advance Licence Scheme.

(viii) Providing encouragement to manufacturer-exporters and non-quota exporters through appropriate Quota Policy measures.

(ix) Fixing of floor prices for textile and garment items subject to quota restriction in terms of foreign currencies.

(x) Introduction of Liberalised Exchange Rate Management System.

उत्तर प्रदेश और गुजरात के बुनकरों को सूती धागे की सप्लाई और सहायता

1065. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश को प्रतिमाह सूती धागे की सप्लाई करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश में सूती धागे की उक्त मात्रा बुनकरों को इस समय उपलब्ध है ;

(ग) क्या सूती धागे, रंगों और रसायनों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप बुनकरों के लिए सरकारी सहायता के बिना ये वस्तुएं खुले बाजार से खरीदना असंभव हो गया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में हथकरघा बुनकरों को सहायता देने के लिए कोई कदम उठाए हैं ताकि उन्हें भुखमरी से बचाया जा सके तथा बिगड़ती स्थिति में सुधार किया जा सके ; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के बुनकरों को सरकार द्वारा दी गई सहायता का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) उत्तर प्रदेश के हथकरघा बुनकरों को प्राइवेट साधनों के अतिरिक्त केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त अभिकरण सूती धागे की आपूर्ति करते हैं।

(ख) जी हां।

(ग) हथकरघा क्षेत्र में प्रयोग होने वाले कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि के बावजूद हथकरघा तैयार उत्पादों में उसी दर से वृद्धि नहीं हो पाई है।

(घ) उत्तर प्रदेश से भुखमरी की कोई शिकायत नहीं मिली है। पिछले कुछ वर्षों से केन्द्र सरकार की सहायता से राज्य में पर्याप्त कताई क्षमता का सृजन किया गया है। केन्द्र सरकार की सलाह पर हैंक यार्न के उत्पादन इसके मूल्यों और वितरण की देख-रेख के लिए सूत मूल्य निर्धारण समिति का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त 1992-93 के दौरान मिल गेट मूल्य पर सूत की आपूर्ति

के लिए, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, एक योजना मंजूर की है जिसमें 10 मिलियन किलोग्राम सूत की आपूर्ति की जायेगी ।

(ङ) हथकरघा के विकास के लिए विभिन्न वर्तमान योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य को पर्याप्त सहायता दी गई है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	जारी की गई सहायता
1989–90	3191.32
1990–91	4499.84
1991–92	3769.42

सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत सूती कपड़ा मिलें

1066. **श्री अजीत सिंह :**
श्री राजूभाई एस० परमार :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सूती कपड़ा मिलों की राज्यवार संख्या कितनी है ;

(ख) क्या ये मिलें हथकरघा और विद्युत करघा क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता रखती हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार का आठवीं पंच-वर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में विशेष रूप से मध्य प्रदेश में नई मिलें स्थापित करने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) एक विवरण संलग्न है । **(नीचे देखिए)**)

(ख) चूंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में यार्न को लाने ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है इसलिए हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्रों की मांग को, देश में कार्यरत समस्त कताई मिलों द्वारा किए जाने वाले उत्पादन में से पूरा किया जाता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता,

(घ) जी नहीं,

(ङ) उपरोक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र	सूती कताई मिलों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	9
आसाम	1
बिहार	3
गुजरात	4
हरियाणा	1
जम्मू और कश्मीर	—
कर्नाटक	9
केरल	4
मध्य प्रदेश	2
महाराष्ट्र	35
उड़ीसा	6
पंजाब	6
राजस्थान	3
तमिलनाडु	19
उत्तरप्रदेश	11
पश्चिम बंगाल	1
पांडिचेरी (यू०टी०)	1
गोवा	—
हिमाचल प्रदेश	—
कुल योग :	115